



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162930

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7865/2026

खड़क सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : आशीष कुमार मिश्रा, गिरीश चन्द्र यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- 2- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान शिकायतकर्ता को पक्षकारों की सूची में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- 3- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 14 वर्ष 2018, धारा 323, 452, 504, 506, 392 भा.दं.सं., थाना-असमोली, जनपद-संभल में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 4- विद्वान ए.जी.ए. ने इस आवेदन की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए प्रस्तुत किया कि कार्यवाही शिकायत प्रकरण से उत्पन्न हुई है और इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 4464 वर्ष 2026 (आशीष कुमार बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य)** में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि शिकायत प्रकरण के संबंध में अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के प्रत्युत्तर में आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 1205 वर्ष 2026 (बृजपाल @ बिरजु @ बिजेंद्र एवं अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि शिकायत प्रकरणों में अग्रिम जमानत आवेदन की पोषणीयता के संबंध में प्रश्न इस न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है।

6- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7- अग्रिम जमानत आवेदन की पोषणीयता से संबंधित प्रश्न इस न्यायालय के विचाराधीन है।

8- प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अग्रिम जमानत आवेदन की पोषणीयता से संबंधित विषय इस न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित होने के कारण, इस न्यायालय ने वर्तमान आवेदन पर उसके अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करना उचित समझा है।

9- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रासंगिक समय पर आवेदक हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। वर्तमान में वह पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत है और शिकायतकर्ता, जो हत्या तथा शस्त्र अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में संलिप्त एक ज्ञात अपराधी है, ने आवेदक एवं सह-अभियुक्त उपनिरीक्षक अनिल कुमार राणा के विरुद्ध उन्हें विवश करने के उद्देश्य से यह झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता आवेदक एवं सह-अभियुक्त से उनकी गिरफ्तारी किए जाने के कारण बदला लेने का प्रयास कर रहा है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक को विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया है और उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 19489 वर्ष 2026 (अमित कुमार एवं 3 अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य) में चुनौती दी गई थी। तथापि, उक्त आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिसके पश्चात आवेदक ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अमित कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 7263 वर्ष 2026 में अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

10- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि समन आदेश वर्ष 2019 का है। आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से बच रहा है और उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार योग्य नहीं माना जाना चाहिए।

11- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

12- यह बिना चोट का प्रकरण प्रतीत होता है। आवेदक पुलिसकर्मी है, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता को गिरफ्तार किया जाना बताया गया है। कहा गया है कि आवेदक का कृत्य उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त होना नहीं बताया गया है। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, आवेदक, जिसके फरार होने का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि वह सेवारत पुलिसकर्मी है, को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाना उचित है।

13- विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए।

14- विद्वान ए.जी.ए. ने प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने हेतु तीन सप्ताह का समय प्रदान किए जाने की प्रार्थना की, जो प्रदान किया जाता है। प्रत्युत्तर शपथपत्र, यदि कोई हो, उसके पश्चात दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

15- इसके पश्चात सूचीबद्ध किया जाए।

16- अगली सूचीबद्धता की तिथि तक, आवेदक-खड़क सिंह, जो शिकायत प्रकरण संख्या 14 वर्ष 2018, धारा 323, 452, 504, 506, 392 भा.दं.सं., थाना-असमोली, जनपद-संभल में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i)- आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने तक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह/वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाएं;

(iii)- आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv)- आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

(v)- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

17- उपर्युक्त किसी भी शर्त का पालन न किए जाने की स्थिति में, अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18- इस बीच, आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

4 अगस्त, 2026

सचिन